

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 826 / 2014 / बीकानेर.
2. अपील संख्या – 827 / 2014 / बीकानेर.
3. अपील संख्या – 828 / 2014 / बीकानेर.
4. अपील संख्या – 829 / 2014 / बीकानेर.

मैसर्स तुलसानी फूड इण्डस्ट्रीज,
बिछवाल इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘बी’ / ‘ए’, बीकानेर.

.....प्रत्यर्थी.

5. अपील संख्या – 886 / 2014 / बीकानेर.
6. अपील संख्या – 889 / 2014 / बीकानेर.
7. अपील संख्या – 890 / 2014 / बीकानेर.
8. अपील संख्या – 891 / 2014 / बीकानेर.

मैसर्स नगद नारायण एग्रो फूड्स,
बिछवाल इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘ए’, बीकानेर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

आशा कुमारी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री नारायणदास, व्यवहारी

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/01/2015

निर्णय

1. ये आठ अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे ‘प्रशासनिक अधिकारी’ कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे ‘वेट अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 34 के तहत व्यवहारी के प्रार्थना पत्र सं. क्रमशः 175, 175, 176, 177, 184, 183, 182 व 181/कर/34/उपा-बी/13-14 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 10.04.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। प्रशासनिक अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत दायर प्रार्थना पत्र जिसमें उसकी आलौच्य अवधियों के लिये वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘ए’ / ‘बी’, बीकानेर (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक-पृथक एकतरफा कर निर्धारण आदेशों दिनांक 28.3.2013 को पुनः कर निर्धारण हेतु खोले जाने हेतु निवेदन किया था, को निरस्त किया है।

आशा कुमारी

मनोहर पुरी

लगातार.....2

1-8. अपील संख्या-826, 827, 828, 829, 886, 889, 890 व 891/2014/बीकानेर.

2. आठों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के लिये वेट अधिनियम व केन्द्रीय अधिनियम के तहत पृथक-पृथक एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.03.2013 को पारित करते हुए मांग कायम की गई। उक्त एकतरफा कर निर्धारण आदेशों को पुनः खोलते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, प्रशासनिक अधिकारी ने पृथक-पृथक पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2014 ने यह मानते हुए कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर, निर्धारण आदेश पारित किये हैं। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के धारा 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार कर दिया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेशों दिनांक 10.4.2014 के विरुद्ध ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

अपील संख्या	अपीलार्थी	प्रशासनिक अधिकारी का प्रकरण संख्या	कर निर्धारण अवधि	सृजित मांग
826/14	मै. तुलसानी फूड इण्डस्ट्रीज	175	2008-09 RVAT	11,28,220
827/14	मै. तुलसानी फूड इण्डस्ट्रीज	175	2008-09 CST	8,560
828/14	मै. तुलसानी फूड इण्डस्ट्रीज	176	01.04.2012 से 30.6.2012	4,07,500
829/14	मै. तुलसानी फूड इण्डस्ट्रीज	177	01.07.2012 से 30.9.2012	2,01,200
886/14	मै. नगद नारायण एग्रो फूड्स	184	2010-2011	10,68,847
889/14	मै. नगद नारायण एग्रो फूड्स	183	01.04.2012 से 30.6.2012	75,680
890/14	मै. नगद नारायण एग्रो फूड्स	182	01.07.2012 से 30.9.2012	1,36,120
891/14	मै. नगद नारायण एग्रो फूड्स	181	01.10.2012 से 31.12.2012	1,32,150

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी व्यवहारी (स्वयं) ने उपस्थित होकर प्रारम्भिक आपत्ति उठाते हुये कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.03.2013 पारित मांग सृजित की है, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त (1987) 66 एस.टी. सी. 292 (एस.सी.), (1986) आर.टी.सी. 64 (राज.) व (2011) इण्डलॉ 4 आई.टी. ए.टी. को प्रोद्धरित किया। अग्रिम कथन किया कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

8/12/14

क. नो. 1/14

लगातार.....3

1-8. अपील संख्या-826, 827, 828, 829, 886, 889, 890 व 891/2014/बीकानेर.

केवल निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रेषित टिप्पणी के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के धारा 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया है, जो तथ्यों एवं रिकार्ड के अनुसार विधिसम्मत एवं उचित नहीं है। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने नोटिस तामील को सुनिश्चित किये बिना ही निर्धारण आदेश पारित किये हैं। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 19.03.2013 के लिये जारी नोटिस के क्रम में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों की सत्यापित छाया प्रतियां प्रदान करने हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 80 के क्रम संख्या-5 के क्रम में रूपये 200/- की अर्जेंट कॉपिंग शुल्क जमा करवाते हुये जरिये पत्रांक 2604 दिनांक 17.03.2013 मय सुनवायी हेतु नियत तिथि दिनांक 19.03.2013 तक स्थगित करने हेतु प्रेषित किये गये थे, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त पत्रों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि प्रकरण कालातीत होने जा रहे हैं, पेशी स्थगन दिया जाना संभव नहीं है एवं अर्जेंट कॉपिंग शुल्क वापस लौटाया जा रहा है। कथन किया कि उक्त समस्त तथ्यात्मक स्थिति से स्पष्ट है कि प्रशासनिक अधिकारी ने रेकॉर्ड पर उमलब्ध तथ्यात्मक दस्तावेजों पर विचार किये बिना ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया है, जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थी व्यवहारी ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा समान बिन्दुओं पर अपील संख्या 711/2014/बीकानेर निर्णय दिनांक 15.05.2014, जिसमें माननीय न्यायालयों के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों व दिये गये तर्कों के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को आलौच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस जारी किये गये थे एवं नोटिस दिनांक 28.02.2013 सुनवाई दिनांक 07.03.2013 के लिये जारी नोटिस अपीलार्थी व्यवहारी को तामील होने के उपरान्त भी नियत दिनांक को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं एवं ना ही नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने के सम्बन्ध में कोई तर्कसंगत आधार दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में निर्धारण अधिकारी ने रेकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि उन्हें कर निर्धारण

आशा शिवाजी

क. जे. ए. ए. ए.

लगातार.....4

1-8. अपील संख्या - 826, 827, 828, 829, 886, 889, 890 व 891 / 2014 / बीकानेर.

आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है। अपने उक्त तर्कों के आधार पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियों के अवलोकन से विदित होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवायी हेतु नियत तिथि दिनांक 19.03.2013 के जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से दिनांक 17.03.2013 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को निवेदन किया गया था कि जारी नोटिस के सम्बन्ध में जवाब देने के लिए अपीलार्थी व्यवहारी को रेकार्ड पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रतियां उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावे, जिसके आधार पर नोटिस में अंकित आक्षेपों का जवाब प्रस्तुत किया जा सके, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी की ओर से उक्त पत्रों में अंकित दस्तावेजों की छाया प्रतियां अपीलार्थी व्यवहारी को उपलब्ध कराया जाना ज्ञात नहीं होता है। प्रशासनिक अधिकारी ने भी उक्त पत्रों पर विचार किये बिना ही पारित आदेश दिनांक 10.04.2014 में केवल यह निष्कर्ष अवधारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया है कि "व्यवहारी को सम्मन दिनांक 19.03.2013 के लिए जारी किया गया था, लेकिन नोटिस तामिली के बावजूद भी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।" जबकि प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2013 को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अर्जेन्ट आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें निवेदन किया गया है कि "अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाही गयी प्रमाणित छाया प्रतियां समयावधि में उपलब्ध करावे जिससे आपके द्वारा जारी नोटिस दिनांक 07.03.2013 का जवाब दावा समय पर प्रस्तुत किया जा सके।"

8. अपीलार्थी व्यवहारी के उक्त प्रार्थना पत्रों में किये गये निवेदन को कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया, जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध है, जिससे स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चाहे गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अपीलार्थी व्यवहारी को उपलब्ध नहीं करवायी गयी हैं।

9. इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 34 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है:-

शाशा कुमार

रजिस्ट्रार

1-8. अपील संख्या - 826, 827, 828, 829, 886, 889, 890 व 891 / 2014 / बीकानेर.

34. Reopening of ex-parte assessment.-

- (1) Where an assessment has been made ex-parte under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27, the Deputy Commissioner (Administration) may, on the application of the dealer made within thirty days of the date of service of the notice of demand in consequence of such assessment along with such fee as may be prescribed, by an order direct the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner as the case may be, to cancel the assessment and proceed to make a fresh assessment in accordance with the provisions of law.
- (2) Before issuing direction under sub-section (1), the Deputy Commissioner (Administration) should be satisfied that the applicant dealer did not receive notice or summons issued to him under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27 or that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summons issued to him for assessment.

10. वेट अधिनियम के उक्त विशिष्ट प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को आलोच्य अवधियों से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध नहीं करवायी गयी, जो एक समुचित कारण था। उक्त दस्तावेजों के अभाव में अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ था एवं कर निर्धारण अधिकारी को समुचित जवाब भी प्रस्तुत नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर समुचित विचार किये बिना ही अपीलार्थी व्यवहारी के वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सभी अपीलें स्वीकार कर, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चाहे गये दस्तावेजों की छाया प्रतियां उपलब्ध करवाकर, उसे सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर एवं तामिली सुनिश्चित करने के

31/2/14 (3) भाग


कृपया


लगातार.....6

1-8. अपील संख्या-826, 827, 828, 829, 886, 889, 890 व 891/2014/बीकानेर.

पश्चात इस आदेश की प्राप्ति के दो माह में पुनः आलोच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 16.02.2015 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों, अन्यथा कर निर्धारण अधिकारी प्रकरणों में एकपक्षीय कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे।

12. निर्णय सुनाया गया।


(आशा कुमारी) 09.01.15
सदस्य


(मनोहर पुरी)
सदस्य